संख्या- 88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/1093, दिनॉक 29-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-19/2018/396/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 24-02-2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार 06 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं 02 संस्थानों हेतु निम्न विवरणानुसार प्रस्ताव पर स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उक्तानुसार लोकल एरिया नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रू0 31,51,27,608.45 (रू0 इक्तीस करोड़ इक्यावन लाख सत्ताइस हजार छः सौ आठ एवं पैतालीस पैसे मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) ई-हास्पिटल हेतु चयनित निविदादाता को निविदा की शर्तो ऑन एवार्ड ऑफ कोनट्रेक्ट के अनुसार, कुल न्यूनतम निविदादाता द्वारा कोट की गयी धनराशि रू0 31,51,27,608.45 में पॉच वर्ष के मैन पावर पर होने वाले व्यय की कुल धनराशि रू0 3,38,01,408.00 को छोड़ते हुये अवशेष धनराशि रू0 28,13,26,200.45 का 10 प्रतिशत धनराशि रू0 2,81,32,620.45 का भुगतान फर्म से पीबीजी प्राप्त किये जाने के उपरान्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- प्रकरण में निम्न शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) इस संबंध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11-12-2017 तथा शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनॉक 28-12-2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों को उपकरणों के क्रय हेतु महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों के स्पेसिफिकेशन के आधार पर जेम/ई-निविदा के माध्यम से उपकरणों का क्रय किया जाय।

(5) डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

(6) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश टेक्नीकल यूनिवर्सिटी (यू0पी0टी0यू0) के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।

(7) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

(8) उक्त उपकरणों का क्रय किये जाने के संबंध में समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण किये जाने के पश्चात् उपकरण क्रय किये जाय।

(9) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी एवं 05 वर्ष की सी0एम0सी0 को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

(10) उपकरणों के क्रय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सुसंगत शासनादेश तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों हेतु उपकरण क्रय हेतु ई-प्रोक्योरमेन्ट गवर्नमेन्ट ई-मार्केट के माध्यम से प्रोक्योरमेन्ट, निविदा प्रपत्रों तथा अनुबन्ध पत्र का मानकीकरण एवं उपकरणों को मानकीकृत तकनीकी विशिष्टिताओं को निर्धारित कर उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

(12) क्रय की जाने वाली वस्तु/उपकरण के संबंध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गयी वस्तु/सामग्री उत्तम गुणवत्ता (स्टैण्डर्ड क्वालिटी) की है तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेशिफिकेशन की पूर्ति करती है तथा जॉच में भी उपयुक्त पायी गई है इस संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मांगकर्ता/क्रय अधिकारी की होगी।

(13) निविदा की शर्तो का अनुपालन तथा इस निमित्त यू0पी0टी0यू0 द्वारा बनाए गए बी0ओ0क्यू0 एवं उनके स्पेशिफिकेशन को सुनिश्चित किए जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य एवं महानिदेशक का होगा।

(14) इस परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी परामर्श देने के लिए यू0पी0टी0यू0 को अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-88/2018/1296(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( जयन्त नार्लिकर )
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।